


क्या आपकी बीमा कंपनी
सुन रही है आपकी बात?



यदि आपकी बीमा कंपनी ने
आपकी शिकायतों का समाधान नहीं किया है
तो संपर्क करें।

आईआरडीए ग्रीवेंस कॉल सेंटर :

टोल फ्री नं.: 155255

और अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं तथा उनकी स्थिति का पता लगाएँ
जा आप लॉग ऑन करें www.igms.irda.gov.in

A public awareness initiative by
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
**INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY**
Promoting Insurance. Protecting insured.
www.irdaindia.org



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY



“लाइसेंस.
पंजीकरण.
बीमा।”



मोटर बीमा पर
पुस्तिका



विषय-सूची

1. इस पुस्तिका के बारे में	1
2. मोटार बीमा	2
3. अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न	5
4. पॉलिसीधारक को सेवा देने का टी.ए.टी.	14



अख्याकृति

यह पुस्तिका आपको केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए है और परिपूर्ण नहीं है। यह एक शिक्षा उपक्रम है और आपको कोई कानूनी सलाह नहीं देता।



फॉर्म भर कर कॉल सेंटर आपकी सहायता करता है तथा जहाँ भी आवश्यकता होती है ये सीधे बीमा कंपनी के पास शिकायतें दर्ज कराने में सहायक होता है। और बीमा कंपनी के पते, फोन नंबर, वेबसाइट विवरण, संपर्क क्रमांक, ईमेल आईडी इत्यादि से संबंधित जानकारी आपको देता है। आईआरडीए कॉल सेंटर भावी ग्राहकों और पॉलिसीधारकों के लिए व्यापक टेली-कार्यक्षमताओं के साथ एक असली वैकल्पिक माध्यम (चैनल) प्रदान करता है और सोमवार से शनिवार, सुबह 8 से रात 8 बजे तक 12 घंटे \times 6 दिन तक हिन्दी, अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में कार्यरत रहता है।

जब आईआरडीए के पास कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो वह उसे बीमा कंपनी में प्रेषित करके समाधान करवाता है। कंपनी को शिकायत का समाधान करने के लिए 15 दिन दिए जाते हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है, आईआरडीए जाँच पड़ताल और पूछताछ करता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी लागू हो, आईआरडीए रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसज रॉल्स, 1998 की शर्तों के अनुसार इंश्योरेंस ऑम्बडसमैन को संपर्क करने की सलाह शिकायतकर्ता को देता है।



1. इस पुस्तिका के बारे में

इस पुस्तिका को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा मोटर बीमा पर एक मार्ग दर्शिका के रूप में दिया गया है और ये केवल सामान्य जानकारी देती है। यहाँ दी गई कोई भी जानकारी संबंधित कानूनों, नियमों या विनियमों के प्रावधानों का स्थान नहीं लेती या वर्चस्व नहीं रखती।

पॉलिसी के बारे में विशिष्ट जानकारी के लिए या किसी अन्य अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया किसी लाइसेंसधारी एजेंट या ब्रोकर या



2. मोटर बीमा

- मोटर बीमा क्या है**

मोटर बीमा वाहन मालिक को (i) अपने वाहन की क्षति के प्रति सुरक्षा देता है और (ii) वाहन के मालिक के प्रति कानून के अनुसार निर्धारित किसी तृतीय पक्ष की देयता के लिए भुगतान करता है। तृतीय पक्ष बीमा एक वैधानिक आवश्यकता है। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उपजे तीसरे पक्ष की जिम्मदी या संपत्ति को क्षति या नुकसान के लिए वाहन का मालिक कानूनन जवाबदेह होता है। किसी सार्वजनिक स्थल पर बीमा के बिना मोटरवाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है।

- मोटर बीमा कवर के प्रकार :**

मोटे तौर पर दो प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ होती हैं जो मोटर बीमा कवर प्रदान करती हैं :

ए. केवल देयता पॉलिसी (विधिक आवश्यकता)

बी. पैकेज पॉलिसी (केवल देयता पॉलिसी+वाहन के मालिक का नुकसान जिसे सामान्यतः ओ. डी. कवर कहा जाता है)

यदि आप केवल देयता पॉलिसी ही खरीदते हैं तो आपके वाहन का नुकसान कवर नहीं किया जाएगा। इसीलिए पैकेज पॉलिसी लेना ही बेहतर होगा जो एक व्यापक कवर प्रदान करेगा, जिसमें आपके वाहन के लिए कवर शामिल है।

- मोटर बीमा कवर करता है :**

निम्न जोखिमों के कारण वाहन को होनेवाला नुकसान मोटर



5. यदि आपकी कोई शिकायत है

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के उपभोक्ता मामले विभाग ने इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम (आईजीएमएस) शुरू किया है जो शिकायतों के पंजीयन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम है। आपको सर्वप्रथम अपनी बीमा कम्पनी में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और यदि आप कंपनी द्वारा इसके निपटारे से संतुष्ट नहीं हैं तो आप www.igms.irda.gov.in पर जाकर आईजीएमएस के जरिए इसे आईआरडीए के पास भेज सकते हैं। यदि आप बीमाकर्ता की शिकायत प्रणाली तक सीधे नहीं पहुँच पाते हैं तो आईजीएमएस बीमाकर्ता के पास आपकी शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको एक मार्ग भी प्रदान करता है।

आईजीएमएस (यानी वेब) के जरिए अपनी शिकायत को पंजीकृत करने के अलावा आपके पास शिकायत पंजीकरण के लिए अनेक माध्यम (चैनल्स) हैं ई-मेल (complaints@irda.gov.in) के जरिए, पत्र (अपना पत्र ग्राहक मामले विभाग, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद : को संबोधित करें) के जरिए, या आईआरडीए कॉल सेंटर को टोल फ्री नं **155255** पर कॉल करें जिसके जरिए आईआरडीए बीमा कंपनियों के खिलाफ आपकी शिकायत निःशुल्क दर्ज करेगा और साथ ही उसकी स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा। कॉल के आधार पर शिकायत



आईआरडीए द्वारा निर्धारित पॉलिसीधारक सर्विसिंग टर्न अराउंड टाइम (टीएटी)

सेवा	अधिकतम टर्न अराउंड टाइम (टीएटी)
साधारण	
प्रस्ताव की प्रक्रिया और फैसलों की जानकारी देना जिसमें शामिल हैं पॉलिसी की आवश्यकताएँ/जारी करना/निरस्तीकरण	15 दिन 30 दिन 10 दिन
प्रस्ताव की प्रति प्राप्त करना	
पॉलिसी जारी करने पश्चात की सेवा के निवेदन जो त्रुटियों/प्रस्ताव डिपॉजिट की वापसी और गैर-दावा संबंधी सेवा निवेदनों से संबंधित है।	
जीवन बीमा	
समर्पण मूल्य/एन्युइटी/पेंशन प्रक्रिया	10 दिन
परिपक्वता दावा/सर्वाइवल लाभ/दण्ड स्वरूप ब्याज का भुगतान	15 दिन
दावा दायर करने के बाद दावा की आवश्यकताओं को सूचित करना	15 दिन 30 दिन 6 महिना
जाँच की आवश्यकता के बिना मृत्यु दावा निपटारा	
जाँच की आवश्यकता के साथ मृत्यु दावे का निपटारा/निरस्तीकरण	
साधारण बीमा	
सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करना	30 दिन
बीमाकर्ता द्वारा पूरक रिपोर्ट मांगना	15 दिन
पहली/पूरक सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद दावे का निपटारा/अस्वीकृति	30 दिन
शिकायतें	
शिकायत की पावती देना	3 दिन
शिकायत का समाधान	15 दिन



बीमा पॉलिसी की ओन डैमेज भाग के अंतर्गत कवर किया जाता है :

- ए) आग, विस्फोट अपने आप जलना, बिजली गिरना
- बी) सेंधमारी/डाका/चोरी
- सी) दंगा व हड्डताल
- डी) भूकंप
- ई) बाढ़, आंधी, चक्रवात, तूफान, झंझावात, जल प्लवन, आला वृष्टि बर्फबारी
- एफ) बाह्य कारकों से दुर्घटना
- जी) दुर्भावपूर्ण कृत्य
- एच) आतंकी कृत्य
- आई) रेल/सड़क, अंतर्रेशीय जलमार्ग, लिफ्ट, एलिवेटर या वायु द्वारा सफर के दौरान
- जे) जमीन धंसना/चट्टान गिरना

- **मोटर बीमा में क्या शामिल नहीं है :**

निम्नलिखित आपात स्थितियाँ सामान्यतः मोटर बीमा पॉलिसी के तहत शामिल नहीं हैं :

- वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना
- मादक शराब/ड्रग्स के प्रभाव में रहना
- भौगोलिक सीमाओं से बाहर दुर्घटना होना
- वाहन का उपयोग जब अवैध कार्यों के लिए किया जाता है
- इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल खराबी



बीमित राशि का आधार

स्वयं क्षति के (ऑन डैमेज) के लिए :

मोटर बीमा पॉलिसी के तहत बीमित राशि मोटर वाहन का मूल्य दर्शाती है जिसका निर्धारण बीमित के घोषित मूल्य नामक संकल्पना के आधार पर किया जाता है। बीमित का घोषित मूल्य वह मूल्य है जो उत्पादक के वर्तमान मूल्य तथा वाहन की उम्र के आधार पर मूल्यन्हास के अनुसार निकाला जाता है।

तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) के लिए :

यह कवरेज मोटर वाहन अधिनियम 1988 की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। मालिक-ड्राइवर के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना कवर भी शामिल होता है। पॉलिसी को अन्य विभिन्न जोखिमों तक भी विस्तारित किया जा सकता है जैसे वाहन में सवार लागों के लिए निजी दुर्घटना, ड्राइवर को कर्मकाठ क्षतिपूति इत्यादि जो कानून के तहत उसके लिए कवर के अलावा उपलब्ध है।



प. मेरी बीमा पॉलिसी खो गई है। क्या मुझे डुप्लिकेट मिल सकता है?

उ. हाँ। कृपया उसी कार्यालय से लिखित निवेदन के साथ संपर्क करें, जिसने पॉलिसी जारी की थी। डुप्लिकेट पॉलिसी कॉपी जारी करने के लिए एक मामूली शुल्क लिया जाता है।

प. मोटर बीमा दावे के लिए किन दस्तावेजों को जमा कराने की आवश्यकता होती है?

उ. सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता होती है। तथापि संपूर्ण सूची देखने के लिए अपनी पॉलिसी पढ़ें – भरा हुआ दावा फॉर्म, वाहन की पणीयन प्रमाण पत्र प्रति, हानि का मूल अंदाजा, मूल रिपोर्ट इनवॉइस और भुगतान रसीद. यदि नकद रहित सुविधा हासिल की गई है तो केवल रिपोर्ट इनवॉइस जमा करने की ज़रूरत होगी तथा यदि आवश्यक हो तो एफआईआर। चोरी के दावों के लिए नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट भी जमा कराया जाना चाहिए।



- पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटो प्रति
- पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
- वाहन चला रहे व्यक्ति के चालक अनुज्ञापत्र (Driving license) की प्रति.

प. क्या मैं अपने वाहन के खरीदार को अपना बीमा हस्तांतरित कर सकता हूँ?

उ. हाँ। वाहन के खरीदर को बीमा हस्तांतरित किया जा सकता है, बशर्ते विक्रेता ऐसे हस्तांतरण की लिखित सूचना बीमा कंपनी को दें। एक नया प्रस्ताव फॉर्म भरा जाना चाहिए। बीमा के हस्तांतरण के लिए मामूली शुल्क के साथ हस्तांतरण के दिनांक से पॉलिसी समाप्त होने तक एनसीबी की अनुपातिक वसूली लिया जाएगा। ध्यान देना चाहिए कि आपकी पैकेज पॉलिसियों में स्वामित्व का हस्तांतरण उसके दिनांक से 14 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर वाहन की स्वयं क्षति के लिए कोई दावा देय नहीं होगा।

प. आरटीओ में वाहन मेरे नाम पर हस्तांतरित होने के बाद भी क्या मैं पिछले मालिक के नाम से बीमा जारी रख सकता हूँ?

उ. नहीं, वाहन का पंजीकरण और बीमा हमेशा एक ही नाम पर एक ही पते के साथ होना चाहिए। अन्यथा दावा देय नहीं होगा। नया प्रस्ताव फॉर्म भरना जरूरी होता है। बीमा हस्तांतरण के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है।



3. मोटर बीमा पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प. मुझे कौन सा मोटर बीमा कवर खरीदना चाहिए? क्या मुझे व्यापक बीमा खरीदना चाहिए या केवल देयता पॉलिसी?

उ. भारत में सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए तृतीय पक्ष देयता बीमा अनिवार्य है। यह दूसरों को लगी चोटों और नुकसानों के लिए देयता को कवर करता है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसके अलावा आपका पैकेज पॉलिसी के ज़रिए वाहन को ही हानि या नुकसानों के प्रति कवर करना उचित है जो “देयता” और बीमित वाहन के लिए “स्वयं क्षति” दोनों को कवर करता है। केवल देयता कवर को ऐट ओन्ली कवर भी कहा जाता है।

प. प्रीमियम का निर्धारण कैसे किया जाता है?

उ. कई कारक प्रीमियम का निर्धारण करते हैं जिसे आप अदा करेंगे। स्वयं क्षति कवर के लिए विभिन्न बीमा कंपनियाँ समान कवरेज के लिए अलग-अलग प्रीमियम लेती हैं। देखभाल कर खरीदारी करें, तुलना के लिए तीन या अधिक कोट्स उचित होते हैं। विभिन्न बीमाकर्ताओं की वेबसाइट देखें, इससे आपको प्रीमियम की तुलना करने में मदद मिलेगी। कटौती की राशि, कवरेज और आईडीवी की तुलना करना न भूलें क्योंकि एक बीमाकर्ता का प्रीमियम कमतर हो सकता है लेकिन उसमें कटौती योग्य राशि अधिक, कमतर कवरेज और कमतर



आईडीवी हो सकता है, जो दावा निपटारे के मामले में आप पर विपरीत प्रभाव डालेंगे।

अपने एजेंट को निम्नलिखित मर्दों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार रहें। वाहन पंजीयन विवरण, इंजिन नं., चेसिस नं., वाहन की श्रेणी, क्यूबिक क्षमता, बैठने की क्षमता इत्यादि के साथ (असल में सभी संबंधित विवरण, आरसी बुक/कार्ड में होते हैं और उसकी प्रति सौंपी जा सकती है) अदा कर विवरण, स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र, ड्राइवर का विवरण उप्र, लिंग, पात्रता लाइसेंस वैधता, पिछला बीमा इतिहास, यदि हो।

स्वयं क्षति कवरेज का आंकलन वैयक्तिक बीमा कंपनियों द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पास दरें दाखिल करने के बाद किया जाता है। इसका निर्धारण इन अन्य पहलुओं पर किया जाता है – वाहन की उम्र, डिस्काउंट्स/लोडिंग्स – उपयुक्त बोनस/लोडिंग डिस्काउंट्स पिछले दावा अनुभव के साथ प्रीमियम की गणना करते समय ध्यान में लिए जाते हैं। आईडीवी (बीमित का घोषित मूल्य) तृतीय पक्ष देयता प्रीमियम दरें आईआरडीए द्वारा तय की जाती है।

बीमा में ब्रेक होने पर वाहन के निरीक्षण की आवश्यकता होगी और उसके लिए अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

प. कौन सी कवरेज सीमाएं मेरी ज़रूरतें पूर्ण करती हैं?

उ. स्वयं क्षति के लिए वाहन की बीमित राशि को “बीमित घोषित



ली जाती रहेगी।

- प. मोटर वाहन कानून के तहत बीमा का प्रमाणपत्र क्या है?
- उ. सेंट्रल मोटर वेहिकल रूल्स 1989 का नियम 141 के अनुसार बीमा का प्रमाणपत्र केवल फॉर्म 51 में जारी किया जाना चाहिए। केवल मोटर वेहिकल इंश्योरेंस में पॉलिसी के अलावा कानून के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा एक अलग बीमा प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक होता है। यह दस्तावेज हमेशा वाहन में साथ रखना चाहिए। घर/कार्यालय में पॉलिसी अलग से संभालकर रखनी चाहिए।
- प. यदि मैं अपने वाहन में सीएनजी या एलपीजी किट लगाता हूं तो क्या बीमा कंपनी को सूचित करना आवश्यक है?
- उ. यदि वाहन में सीएनजी/एलपीजी लगा है तो आरटीए जहाँ वाहन पंजीकृत किया गया था वहाँ पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी) में बदलाव दर्ज करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। बीमा कंपनी को भी “ऑन डैमेस (O.D)” सेवशन और “टीपी” सेवशन के तहत किट के मूल्य पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर किट को कवर करने के लिए सूचित करना चाहिए।
- प. सार्वजनिक स्थानों पर चलते समय वाहनों में कौन से दस्तावेज रखना चाहिए?
- उ. • बीमा प्रमाणपत्र



तक है जो कि वाहन की क्यूबिक क्षमता/वहन क्षमता पर निर्भर होती है। तथापि कुछ मामलों में बीमाकर्ता वाहन की उम्र के आधार पर या आदि दावों की बारंबारता ऊँची है तो अतिरिक्त आधिक्य (एक्सेस) लगा सकता है :

- प. पॉलिसी में किन्हीं बदलावों को दर्ज करने के लिए क्या प्रक्रिया है?
- उ. यदि पॉलिसी में कोई बदलाव है तो बीमा कार्यालय द्वारा पृष्ठांकन से यह किया जाएगा। बदलावों के लिए प्रमाण के साथ बीमाकर्ता के पास पत्र जमा करें और पृष्ठांकन प्राप्त करें। पृष्ठांकन को सतर्कता से जाँच लें।
- प. यदि मैं किसी विशिष्ट शहर में कार का उपयोग कर रहा हूँ तो क्या प्रीमियम दर लागू होगी?
- उ. लागू प्रीमियम दर के प्रयोजन के लिए उस स्थान को विचार में लिया जाएगा जहाँ वाहन पंजीकृत कराया गया है (न कि वह स्थान जहाँ वाहन का उपयोग किया गया है)। यदि आपका वाहन चेन्नई में पंजीकृत है तो ज्ञोन ए के लिए लागू दर ली जाएगी। अगर आप किसी भिन्न शहर/नगर में स्थानांतरित हो जाते हैं तो भी वही दर जारी रहेगी। उसी प्रकार यदि कोई वाहन किसी नगर में पंजीकृत है तो उस पर ज्ञोन बी की प्रीमियम दर लागू होगी। उसी प्रकार यदि मालिक किसी महानगर में स्थानांतरित हो जाता है तो उससे ज्ञोन बी की दर



मूल्य'' कहा जाता है और वह वाहन के मौजूदा बाजार मूल्य को दर्शाता है। तृतीय पक्ष देयता कवर के लिए तृतीय पक्ष की चोटों हेतु असीमित कवरेज है, तथापि तृतीय पक्ष संपत्ति के नुकसानों को रु. 750,000 की राशि तक को कवर किया जाता है। बीमित के पास तृतीय पक्ष की संपत्ति के नुकसान हेतु कवरेज को र. 6,000 तक सीमित करने का विकल्प है जबकि ''केवल देयता'' प्रीमियम में कमी होगी।

- प. पॉलिसी की अवधि क्या है?
- उ. आमतौर पर पॉलिसी एक वर्ष के लिए वैध होती है और उसे नियत तिथि से पहले नवीनीकृत कराना होता है। प्रीमियम समय पर अदा करें। कोई भी बीमाकर्ता प्रीमियम के भुगतान के लिए ग्रेस अवधि नहीं देता – नियत तिथि ही नियत तिथि होती है। पॉलिसी एक दिन से भी लैप्स हो जाने के मामले में वाहन का निरीक्षण कराना होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यापक पॉलिसी 90 से अधिक दिनों तक लैप्स रहने दी जाती है तो एनसीबी (नो क्लेम बोनस) का उपार्जित लाभ भी खत्म हो जाता है।
- प. ''नो क्लेम बोनस'' क्या है?
- उ. नो क्लेम बोनस (एनसीबी) पिछली पॉलिसी अवधि के दौरान शून्य दावों के लिए बीमित को मिला लाभ है। विद्यमान मौजूदा मानकों के अनुसार ये स्वयं क्षति प्रीमियम 20% से शुरू होता



हैं (न कि देयता प्रीमियम पर) और क्रमिक दावा मुक्त वर्षों के आधार पर अधिकतम 50% तक धीरे-धीरे बढ़ता है। तथापि यदि दावा दायर किया जाता है तो आगामी पॉलिसी अवधि में कोई दावा बोनस नहीं होगा। बीमित को एनसीबी दी जाती है, न कि बीमित वाहन को अतः वाहन के हस्तांतरण पर बीमा पॉलिसी नए मालिक को हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन एनसीबी नहीं। नए मालिक को शेष पॉलिसी अवधि के लिए एनसीबी के प्रति अंतर को अदा करना पड़ता है। मूल मालिक अपने द्वारा खरीदे गए नए वाहन पर एनसीबी का उपयोग कर सकता है।

- प. यदि मैं अपनी बीमा कंपनी को बदलना चाहूँ तो क्या मेरा नो क्लेम बोनस अंतरित होगा?
- उ. हाँ। यदि आप नवीनीकरण पर बीमाकर्ता को बदलते हैं तो आप एनसीबी सुविधा हासिल कर सकते हैं। आपको मौजूदा बीमाकर्ता से नवीनीकरण सूचना के द्वारा प्राप्त एनसीबी का प्रमाण दिखाना होगा। यदि वह नहीं दिखाया जा सकता है तो आप अपनी समाप्त हो रही मूल पॉलिसी को इस प्रमाणन के साथ दिखा सकते हैं कि समाप्त हो रही पॉलिसी पर आपके द्वारा कोई दावा दाखिल नहीं किया गया है। इसीलिए यह प्रमाण नवीनीकरण सूचना के रूप में या पिछले बीमाकर्ता के एनसीबी पात्रता की पुष्टि के पत्र के रूप में हो सकता है।
- प. क्या कोई डिस्काउंट्स हैं जो मेरा प्रीमियम घटाएंगे?



उ. एनसीबी के अलावा, ऑटोमोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया, विंटेज कार्स (विंटेज एंड क्लासिक कार कलब ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित प्रायवेट कारें); ऑटोमोबाइल रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) पुणे द्वारा मान्य सेंधमारी-रोधी साधनों का संस्थापन। ओ डैमेज प्रीमियम के तहत अतिरिक्त छूट, नेत्रहीन, अपंग, और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से रचे/संशोधित किए गए वाहनों के लिए रियायतें जो संबंधित आरटीए द्वारा आरसी में उपयुक्त रूप से अनुमोदित किए गए हों और जिन्होंने स्वैच्छिक अतिरिक्त कटौती आधिक्य राशि के लिए चयन किया है।

‘केवल देयता विभाग’ के तहत तृतीय पक्ष संपत्ति के नुकसान में कटौती के लिए छूट उपलब्ध है।

(टीपीपीडी) रु. 750,000 से रु. 6,000 तक

- प. क्या सेवा कर लागू है और यह कितना है?
- उ. हाँ, सेवा कर लागू है और वह कानून के विद्यमान नियम के अनुसार होगी।
- प. कटौती योग्य राशि क्या है?
- उ. कटौती योग्य या “आधिक्य” यह राशि है जिसके अलावा दावा देय होगा। अधिकांश वाहनों के लिए एक सामान्य मानक/अनिवार्य आधिक्य राशि है जो टू-व्हीलर्स के लिए रु. 50 से निजी कारों व वाणिज्यिक वाहनों के लिए रु. 500